



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5482 वर्ष 2026

घनश्याम दुबे

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुदीप द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया प्रति शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की दिनांक 17.06.2026 की आख्या के अनुसार, विपक्षी संख्या-2 पर समन की तामील कर दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र के प्रस्तर संख्या-3 के अनुसार, वर्तमान प्रकरण के विपक्षी संख्या-2 पर समन की तामील कर दी गई है। समन की तामील होने के बावजूद, वर्तमान आपराधिक अपील का प्रतिवाद करने हेतु विपक्षी संख्या-2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुदीप द्विवेदी तथा राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14ए(1) के तहत वर्तमान अपील निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है:-

"अतः, यह अत्यन्त सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय

न्यायालय कृपापूर्वक वर्तमान आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए आदेश

दिनांक 17.02.2024 तथा 11.05.2026, जिनके द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-

160 वर्ष 2003, राज्य बनाम घनश्याम दुबे, धारा 323, 325, 504, 506

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 3(1) (एक्स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना- जंसा, जनपद- वाराणसी में अपीलकर्ता द्वारा दाखिल प्रत्यावर्तन प्रार्थना-पत्र दिनांक 06.09.2024 निरस्त कर दिया गया, को अपास्त करने की कृपा करें तथा वर्तमान आपराधिक अपील के इस माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित रहने के दौरान विद्वान विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम), वाराणसी के न्यायालय में लंबित सत्र परीक्षण संख्या-160 वर्ष 2003, राज्य बनाम घनश्याम दुबे की अग्रतर कार्यवाही पर स्थगनादेश पारित करने की भी कृपा करें। तथा/अथवा प्रकरण की परिस्थितियों के अधीन ऐसा अन्य एवं अग्रतर आदेश पारित करने की कृपा करें, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित एवं न्यायोचित समझे। अन्यथा अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति एवं हानि होगी।"

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 325, 504, 506 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1) (एक्स) के तहत आपराधिक विचारण का सामना कर रहा है तथा वह नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहा है। अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी अपने प्रतिपरीक्षण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई थीं, किन्तु वह अस्वस्थ थीं तथा न्यायालय में उन्हें उल्टियाँ हो रही थीं। अपीलकर्ता के अधिवक्ता उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 17.02.2024 के माध्यम से उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त कर दिया गया।

6. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत दिनांक 06.09.2024 को एक प्रत्यावर्तन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी को प्रतिपरीक्षण हेतु तलब किया जाए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत प्रस्तुत उक्त दिनांक 06.09.2024 के प्रार्थना-पत्र को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2026 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2026 के माध्यम से उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त साक्षी तथ्य का साक्षी है तथा यदि अपीलकर्ता को अवसर प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह अपनी निर्दोषता सिद्ध करने में सक्षम नहीं होगा। उन्होंने आगे प्रार्थना की कि अपीलकर्ता को उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने हेतु एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जाए तथा वह उक्त साक्षी के व्यय का वहन करने के लिए तैयार है।

8. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने यह आरोप लगाते हुए अपीलकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया कि प्रतिपरीक्षण का पर्याप्त अवसर पूर्व में ही अपीलकर्ता को प्रदान किया जा चुका था तथा वर्तमान अपील विचारण की कार्यवाही में विलम्ब करने के उद्देश्य से दाखिल की गई है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी का विचारण न्यायालय में दिनांक 13.08.2012 को परीक्षण किया गया था तथा वह दिनांक 17.02.2024 को प्रतिपरीक्षण हेतु उपस्थित हुई थीं, किन्तु उनका प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी, जो एक वृद्ध महिला हैं तथा वृद्धावस्था से संबंधित अनेक व्याधियों से पीड़ित थीं, के प्रतिपरीक्षण का अवसर विधिसम्मत एवं उचित रूप से समाप्त कर दिया। विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गई कि वर्तमान अपील में कोई बल नहीं है और यह निरस्त किए जाने योग्य है।

9. वर्तमान प्रकरण के तथ्यात्मक विवेचन में प्रवेश करने से पूर्व, विचाराधीन विवाद से संबंधित विधिक स्थिति पर विचार किया जाना आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 निम्नवत् उद्धृत है:-

"धारा 311. महत्वपूर्ण साक्षी को तलब करने अथवा उपस्थित व्यक्ति का परीक्षण करने की शक्ति।—इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण अथवा अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण पर कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में तलब कर सकता है, अथवा ऐसे किसी उपस्थित व्यक्ति का, जिसे साक्षी के रूप में तलब नहीं किया गया हो, परीक्षण कर सकता है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका पूर्व में परीक्षण किया जा चुका हो, प्रत्यावर्तित कर उसका पुनः परीक्षण कर सकता है; तथा यदि ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य न्यायालय को प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को तलब करेगा तथा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसका परीक्षण करेगा अथवा उसे प्रत्यावर्तित कर उसका पुनः परीक्षण करेगा।"

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के विश्लेषण से यह प्रतीत होता है कि धारा 311 न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा के प्रथम भाग के अनुसार, न्यायालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है:-

"(1) किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में तलब करना; अथवा

(2) ऐसे किसी उपस्थित व्यक्ति का, जिसे साक्षी के रूप में तलब नहीं किया गया हो, परीक्षण करना; अथवा

(3) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका पूर्व में परीक्षण किया जा चुका हो, प्रत्यावर्तित कर उसका पुनः परीक्षण करना।

धारा का द्वितीय भाग, जो अनिवार्य है तथा न्यायालय पर दायित्व अधिरोपित करता है:-

(1) ऐसे किसी व्यक्ति को तलब कर उसका परीक्षण करना; अथवा

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को प्रत्यावर्तित कर उसका पुनः परीक्षण करना, यदि उसका साक्ष्य प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो।"

11. राजा राम प्रसाद यादव बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, ए.आई.आर. 2013 (उच्चतम न्यायालय) 3081 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अतः यह अनिवार्य है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 का आह्वान तथा किसी विशेष प्रकरण में उसका प्रयोग न्यायालय द्वारा केवल उक्त उपबंध के उद्देश्य एवं अभिप्राय, अर्थात् प्रकरण का न्यायोचित निर्णय सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए ही किया जाए। उक्त उपबंध के अधीन निहित शक्ति किसी भी न्यायालय को संहिता के अधीन प्रारम्भ की गई किसी भी जाँच, विचारण अथवा अन्य कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में तलब करने अथवा ऐसे किसी उपस्थित व्यक्ति का, जिसे साक्षी के रूप में तलब नहीं किया गया हो, परीक्षण करने अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका पूर्व में परीक्षण किया जा चुका हो, प्रत्यावर्तित कर उसका पुनः परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रदान की गई है। जहाँ तक पूर्व में परीक्षण किए जा चुके किसी व्यक्ति को प्रत्यावर्तित कर उसका पुनः परीक्षण करने का प्रश्न है, न्यायालय को आवश्यक रूप से इस बात

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर विचार करना होगा तथा यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे व्यक्ति का प्रत्यावर्तन एवं पुनः परीक्षण न्यायालय की दृष्टि में प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो।

12. यह प्रतीत होता है कि अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी का प्रतिपरीक्षण प्रकरण के न्यायोचित निर्णय के लिए आवश्यक है। अपीलकर्ता को उक्त साक्षी का प्रतिपरीक्षण करने हेतु एक और अंतिम अवसर प्रदान किया जा सकता है।

13. तदनुसार, वर्तमान अपील **स्वीकार** की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.05.2026 एतद्वारा अपास्त किया जाता है, इस शर्त के अधीन कि अपीलकर्ता आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ₹5,000/- की धनराशि अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी के नाम से मांग ड्राफ्ट के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करेगा। उक्त धनराशि जमा किए जाने पर, यदि अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी/अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी को प्रत्यावर्तित करने हेतु नवीन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो विद्वान विचारण न्यायालय दिनांक 11.05.2026 के अपने पूर्व आदेश से प्रभावित हुए बिना उस पर विचार कर उसका निर्णय करेगा तथा उक्त साक्षी को अपीलकर्ता द्वारा अग्रेतर प्रतिपरीक्षण के प्रयोजन से तलब किया जाएगा। इस प्रकार जमा की गई धनराशि उक्त साक्षी/अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी को प्रतिपरीक्षण हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर प्रदान की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि अभियोजन साक्षी-2 श्रीमती मिन्ता देवी के प्रतिपरीक्षण हेतु यह अंतिम अवसर होगा तथा अपीलकर्ता को किसी भी दशा में कोई और स्थगन प्रदान नहीं किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 जून, 2026

ए.पी. पांडे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।